

कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय।

(स्थापना शाखा)

बिहार पंचायत/ नगर/ ग्रामभित्तक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 हेतु नियोजन इकाईवार एवं कोटिवार सक्ति विवरणी

कक्षा- VI से VIII

विषय- गणित एवं विज्ञान

| क्रमक | नियोजन इकाई का नाम  | कुल पद | अनपठित | अनपठित महिला | अनपठित (क) | अनपठित (ख) | अनपठित महिला | अनपठित महिला | अनपठित महिला | अनपठित महिला | अनपठित महिला | अनपठित महिला | अनपठित महिला | अनपठित महिला | अनपठित महिला | अनपठित महिला                       | अनपठित महिला                             | अनपठित महिला | अनपठित महिला |
|-------|---------------------|--------|--------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 1     | 2                   | 3      | 4      | 5            | 6          | 7          | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17                                 | 18                                       |              |              |
| 1     | नगर पंचायत बलरिया   | 2      | 1      | 0            | 0          | 0          | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 10, 43                             |  |              |              |
| 2     | ग्रामपंचायत सुरगढ़ा | 9      | 1      | 2            | 1          | 1          | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 16, 24, 32, 36, 44, 45, 47, 48, 52 | इष्टि डिप्लोमा-01, कृषक शिक्षक नियोजन-01 |              |              |
| 3     | ग्रामपंचायत लखीसराय | 4      | 1      | 1            | 1          | 0          | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 28, 42, 51, 53                     |  |              |              |
| 4     | ग्रामपंचायत विपरीता | 4      | 1      | 1            | 0          | 1          | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 40, 50, 55, 61                     |  |              |              |
| 5     | ग्रामपंचायत बलरिया  | 3      | 1      | 0            | 0          | 1          | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 56, 59, 60                         |  |              |              |
| 6     | ग्रामपंचायत चानवा   | 6      | 1      | 0            | 1          | 0          | 1            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 34, 38, 46, 54, 63, 67             | स्वातंत्र्य सेनानी-01                    |              |              |
| 7     | ग्रामपंचायत चौराहा  | 1      | 0      | 0            | 0          | 0          | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 58                                 |  |              |              |
| 8     | ग्रामपंचायत हलसी    | 6      | 0      | 1            | 1          | 0          | 1            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 48, 57, 62, 64, 65, 66,            | बालक नियोजन- 01                          |              |              |
|       | कुल योग             | 35     | 6      | 5            | 4          | 3          | 2            | 2            | 5            | 4            | 0            | 0            | 2            | 1            | 1            |                                    |  |              |              |

नोट- बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश-13062, दिनांक-12.10.2017 में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार नियोजन को 4 प्रतिशत हीरोइन आरक्षण अंतर्गत अर्ध-पुरुष और 25 तक (शुद्धि नियोजन एक पद) रोस्टर सिस्टम-28 से 50 तक (पुरुषों के लिए नियोजन एक पद), रोस्टर सिस्टम-91 से 75 तक (बालक नियोजन एक पद), रोस्टर सिस्टम-76 से 100 तक (मनोविकास नियोजन एक पद) एवं बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश-13165, दिनांक-03.09.2019 द्वारा स्थापित सेवाशर्तों के अंतर्गत को 2 प्रतिशत हीरोइन आरक्षण दिखे जाने का प्रावधान है, जो अभ्युक्ति कॉलेज में स्वीकृत है। उक्त नियोजन का अंशक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा रोस्टर पदों अनुमोदन के प्रत्याशा में शिक्षा विवरणी प्रकाशित की जा रही है। अनुमोदनोपरान्त रिक्ति पद-बढ़ सकती है। विषय अधिकार अधिकारियों को पास सुरक्षित रहेगा।

29/9/19  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)  
शिक्षा विभाग, लखीसराय

कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय ।

(स्थापना शाखा)

बिहार पंचायत / नगर / ग्रामीण शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 हेतु नियोजन इकाईवार एवं कोटिवार स्थिति विवरणी

**श्रेणी- VI से VIII**

विषय- उर्दू

| क्रमांक | नियोजन इकाई का नाम | कुल पद अनारक्षित | अनारक्षित महिला | आरक्षित महिला | आरक्षित पुरुष | आरक्षित महिला | अनुपलब्ध महिला | अनुपलब्ध पुरुष | अनुपलब्ध महिला | अनुपलब्ध पुरुष | अनुपलब्ध महिला | अनुपलब्ध पुरुष | अनुपलब्ध महिला | अनुपलब्ध पुरुष | अनुपलब्ध महिला | शेड्यूल दिवस           | अवशेषित        |
|---------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| 1       | 2                  | 3                | 4               | 5             | 6             | 7             | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17                     | 18             |
| 1       | प्रमुख सूर्यगढ़    | 6                | 1               | 1             | 0             | 1             | 0              | 1              | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 04, 10, 13, 14, 15, 22 | पुर्ण नियोजन-अ |
| 2       | प्रमुख लखीसराय     | 3                | 0               | 1             | 1             | 0             | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 16, 20, 21             |                |
| 3       | प्रमुख शानन        | 1                | 1               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 23                     |                |
| 4       | प्रमुख रामगढ़ सौक  | 2                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 17, 24                 |                |
| 5       | प्रमुख हल्ली       | 3                | 0               | 0             | 0             | 0             | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 1              | 12, 18, 19             |                |
|         | <b>कुल योग</b>     | <b>15</b>        | <b>2</b>        | <b>2</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>2</b>       | <b>2</b>       | <b>0</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>1</b>       |                        |                |

नोट- बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश-13002, दिनांक-12.10.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार दिवसों को 4 प्रतिशत दैनिक आरक्षण भूखण्डानुसार शेड्यूल दिवस -01 से 25 तक (द्विदिन एक पद), शेड्यूल दिवस -26 से 50 तक (द्विदिन दिवस एक पद), शेड्यूल दिवस -51 से 75 तक (एक दिन दिवस एक पद), शेड्यूल दिवस -76 से 100 तक (एकदिन दिवस एक पद) एवं बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश-13166, दिनांक-03.09.2015 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के आरक्षण को 2 प्रतिशत दैनिक आरक्षण सिद्ध करने का प्रावधान है, जो अव्यक्ति को लागू में परिवर्तित है। उक्त दिवसों का आरक्षण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा शेड्यूल पंजी अनुमोदन के प्रकाश में स्थिति विवरणी प्रकाशित की जा रही है। अनुमोदनोपरान्त स्थिति पद-46 तककी है। जिसका अंतिमक वर्षोत्तरावारी को प्राप्त सुनिश्चित होगा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)

शिक्षा विभाग, लखीसराय

**कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय**  
(स्थापना शाखा)

विहार पंचायत / नगर / प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 हेतु नियोजन इकाईवार एवं कोटिवार संचित विवरणी

**क्रमा- VI से VIII**

**विषय- सामाजिक विज्ञान**

| क्रम           | नियोजन इकाई का नाम | कुल पद   | अनाग     | अनारक्षित महिला | 30 पि: 70 महिला | पि:80 महिला | पि:90 महिला | अनु0 जाति महिला | अनु0 जाति महिला | अनु0 जाति महिला | अनु0 जाति महिला | अनु0 जाति महिला | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला | भ्रिजवर्ग की महिला (संचालित महिला) | रास्टर बिन्दु | अभ्युक्ति            |
|----------------|--------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1              | 2                  | 3        | 4        | 5               | 6               | 7           | 8           | 9               | 10              | 11              | 12              | 13              | 14                             | 15                             | 16                                 | 17            | 18                   |
| 1              | नगर विद्यालय कलिया | 1        | 0        | 0               | 0               | 0           | 1           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                              | 0                              | 0                                  | 64            |                      |
| 2              | प्रारंभिक बुरंगडा  | 3        | 0        | 0               | 0               | 1           | 0           | 0               | 1               | 1               | 0               | 0               | 0                              | 0                              | 0                                  | 50, 56, 02    | सुकांतिय दिव्यांग-01 |
| 3              | प्रारंभिक बहिनिया  | 1        | 0        | 0               | 0               | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 1                              | 0                              | 0                                  | 17            | दुष्टि दिव्यांग-01   |
| 4              | प्रारंभिक बागन     | 1        | 0        | 0               | 0               | 0           | 0           | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 0                              | 0                              | 0                                  | 48            | रत्नाञ्जलि सेकनी-01  |
| 5              | प्रारंभिक हलसी     | 2        | 0        | 0               | 0               | 1           | 0           | 0               | 0               | 1               | 0               | 0               | 0                              | 0                              | 0                                  | 68, 70        | शतल दिव्यांग-01      |
| <b>कुल योग</b> |                    | <b>8</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>2</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>        | <b>2</b>        | <b>2</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           |               |                      |

नोट- विहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के जापानक-13062, दिनांक-12.10.2017 में निर्दिष्ट प्रारंभिक के अनुसार दिव्यांगों को 4 प्रतिशत की प्रतिशत आरक्षण श्रृंखला अनुसार रास्टर बिन्दु -01 से 25 तक (दुष्टि दिव्यांग एक पद), रास्टर बिन्दु -26 से 50 तक (श्रृंखला दिव्यांग एक पद), रास्टर बिन्दु -61 से 75 तक (संचालित दिव्यांग एक पद), रास्टर बिन्दु -76 से 100 तक (भ्रिजवर्ग दिव्यांग एक पद) एवं विहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के जापानक-13148, दिनांक-03.09.2015 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2 प्रतिशत की प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है, जो अभ्युक्ति कोलम में उल्लिखित है। उक्त निर्देशों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा रास्टर पंजी अनुमोदन के प्रत्यक्षा में संचित विवरणी प्रकाशित की जा रही है। अनुमोदनोपरोक्त संचित घट-बढ़ सकती है। जिसका अधिकार अधोहस्ताक्षरी को पास सुरक्षित रहेगा।

  
 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)  
 शिक्षा विभाग, लखीसराय

कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय।

(स्थापना शाखा)

बिहार संसदीय/ नगर/ प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 हेतु नियोजन इकाईवार एवं कोटिवार शिक्षा विवरणी

कक्षा- VI से VIII

विषय- संस्कृत

| प्रमाणक | नियोजन इकाई का नाम | कुल एवं अनुमत | अनुमति मिलित | 300 से अधिक महिला | 300 से अधिक महिला | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित | अनुमति मिलित |  |
|---------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1       | 2                  | 3             | 4            | 5                 | 6                 | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           |              |              |              |              |              |  |
| 1       | नगर शिक्षक लखीसराय | 1             | 0            | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 17           | 18           |              |              |              |              |              |  |
| 2       | अवकाश पूर्णता      | 10            | 2            | 2                 | 1                 | 1            | 0            | 1            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 17           |              |              |              |              |              |              |  |
| 3       | प्रकार सरकारी      | 7             | 1            | 2                 | 1                 | 1            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 17           |              |              |              |              |              |              |  |
| 4       | अवकाश पूर्णता      | 3             | 0            | 0                 | 0                 | 1            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 17           |              |              |              |              |              |              |  |
| 5       | अवकाश सरकारी       | 7             | 2            | 1                 | 1                 | 1            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 17           |              |              |              |              |              |              |  |
| 6       | अनुमति प्राप्त     | 3             | 1            | 0                 | 1                 | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 17           |              |              |              |              |              |              |  |
| 7       | अवकाश पूर्णता      | 4             | 0            | 0                 | 0                 | 1            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 17           |              |              |              |              |              |              |  |
| 8       | अनुमति प्राप्त     | 2             | 0            | 1                 | 0                 | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 17           |              |              |              |              |              |              |  |
|         | कुल योग            | 37            | 6            | 6                 | 4                 | 5            | 2            | 2            | 4            | 4            | 0            | 0            | 2            | 1            | 1            | 17           |              |              |              |              |              |              |  |

नोट- बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश-13062, दिनांक-12.10.2017 में निर्दिष्ट प्रमाणक को अनुसर दिखाने को 4 प्रतिशत सीमित अवकाश प्रदानावृत्त सेक्टर सिन्ड-01 से 25 तक (द्विदि दिव्यांग एक पद), सेक्टर सिन्ड-26 से 50 तक (एकदि दिव्यांग एक पद), सेक्टर सिन्ड-51 से 75 तक (एक दिव्यांग एक पद), सेक्टर सिन्ड-76 से 100 तक (नानुमति दिव्यांग एक पद) एवं बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश-13105, दिनांक-03.09.2018 द्वारा संबंधित सेवाशर्तों के अधिकारियों को 2 प्रतिशत सीमित अवकाश सिन्डे जाने का प्रावधान है, जो अनुमति मिलित में उल्लिखित है। उक्त निर्देशों का अवकाश अनुमति दिव्यांग एक पद। जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा सेक्टर धनी अनुमति के अभाव में शिक्षा विवरणी प्रकाशित की जा रही है। अनुमतिप्राप्त शिक्षक घट-46 राकगी है। शिक्षा अधिकार अधिकारियों के परा सुकृत रहेगा।

जिला कार्यकम पदाधिकारी (स्थापना)  
शिक्षा विभाग, लखीसराय



कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय।

(स्थापना शाखा)

बिहार पंचायत / नगर/ प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2014-15 हेतु नियोजन इकाईवार एवं कोटिवार शिक्षा विवरणी

कक्षा- VI से VIII

विषय- अंग्रेजी

| क्रमिक | नियोजन इकाई का नाम | पूर्ण पद  | अनारक्षित | अनारक्षित महिला | आर्य पि 80 | आर्य पि 80 महिला | पि 80 महिला | अग्रज जाति महिला | अग्रज जाति महिला | अग्रज जाति महिला | अग्रज जाति महिला | अग्रज जाति महिला | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला | शिवगंजी महिला (अप्रक्षिप्त महिला) | रोटर बिन्दु                | अभ्युक्ति                         |
|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1      | 2                  | 3         | 4         | 5               | 6          | 7                | 8           | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14                       | 15                             | 16                                | 17                         | 18                                |
| 1      | नगर पंचायत बदायिग  | 1         | 0         | 0               | 0          | 0                | 0           | 0                | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                        | 0                              | 0                                 | 24                         |                                   |
| 2      | प्रखण्ड चूरपट्टा   | 6         | 1         | 1               | 0          | 1                | 0           | 1                | 1                | 1                | 0                | 0                | 0                        | 0                              | 0                                 | 28, 34, 44, 50, 65, 72     | पुस्तक विभाग-01, स्थापना संजली-01 |
| 3      | प्रखण्ड लखीसराय    | 5         | 0         | 1               | 0          | 1                | 1           | 0                | 0                | 1                | 0                | 0                | 1                        | 0                              | 0                                 | 17, 40, 60, 64, 69,        | पुस्तक विभाग-01                   |
| 4      | प्रखण्ड चिरिया     | 2         | 0         | 0               | 0          | 0                | 0           | 0                | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                        | 1                              | 0                                 | 48, 67                     |                                   |
| 5      | प्रखण्ड बदायिग     | 3         | 1         | 0               | 1          | 0                | 0           | 0                | 0                | 1                | 0                | 0                | 0                        | 0                              | 0                                 | 56, 66, 71                 |                                   |
| 6      | प्रखण्ड चामन       | 7         | 1         | 1               | 1          | 1                | 0           | 0                | 1                | 1                | 0                | 0                | 1                        | 0                              | 0                                 | 62, 68, 70, 73, 75, 76, 77 | शरण विभाग-01, स्थापना संजली-01    |
| 7      | प्रखण्ड रामगढ़-सीक | 2         | 0         | 0               | 0          | 0                | 0           | 0                | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                        | 0                              | 0                                 | 52, 74                     |                                   |
| 8      | प्रखण्ड इतरसी      | 3         | 1         | 0               | 0          | 0                | 1           | 0                | 0                | 1                | 0                | 0                | 0                        | 0                              | 0                                 | 78, 79, 80                 |                                   |
|        | <b>कुल योग</b>     | <b>29</b> | <b>4</b>  | <b>3</b>        | <b>2</b>   | <b>3</b>         | <b>2</b>    | <b>1</b>         | <b>5</b>         | <b>5</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2</b>                 | <b>1</b>                       | <b>1</b>                          |                            |                                   |

नोट- बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश-1308/2, दिनांक-12.10.2017 में निर्दिष्ट प्राधान्य के अनुसार विद्यार्थी को 4 प्रतिशत शैक्षणिक आवास शुल्कानुसार रोल्टर बिन्दु-01 से 25 तक (विशेष दिव्यांग एक पद), रोल्टर बिन्दु-26 से 50 तक (शुल्कविहीन दिव्यांग एक पद), रोल्टर बिन्दु-51 से 75 तक (पदान विद्यार्थी एक पद), रोल्टर बिन्दु-76 से 100 तक (सामान्य दिव्यांग एक पद) एवं बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश-1318/2, दिनांक-03.09.2016 द्वारा स्वरजता सेनानियों के आशिकों को 2 प्रतिशत शैक्षणिक आवास शुल्क दिशे जाने का प्रावधान है, जो अभ्युक्ति कोलप में उल्लिखित है। उक्त निर्देशों का अवरत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। बिना पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा रोल्टर बिन्दु प्रकाशित की जा रही है। अनुपालनोपरांत शिक्षा पद-कट-कट सकती है। जिसका अधिकार अवरतसमिती के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला कार्यकर्म पदाधिकारी (स्थापना)  
शिक्षा विभाग, लखीसराय